"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 115] रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 मार्च 2022 — फाल्गुन 16, शक 1943

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2022

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 03–02/15–02/2021/2.— राज्य शासन एतद्द्वारा "नाबार्ड सहायता से गोदाम सह–कार्यालय निर्माण योजना 2022" संलग्न "परिशिष्ट" अनुसार अधिसूचित करता है।

संलग्न –परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप–सचिव.

परिशिष्ट

नाबार्ड सहायता से गोदाम सह–कार्यालय निर्माण योजना, 2022

प्रस्तावना :–

प्रदेश में सहकारी साख संरचना को विस्तार देने तथा अधिक से अधिक सदस्य बनाकर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य ये वर्ष 2020–21 में सहकारी सोसाइटियों का पुर्नगठन कर 725 नवीन सहकारी सोसाइटियों का गठन किया गया है। सभी नवीन सहकारी सोसाइटियों द्वारा वर्ष 2020–21 में धान का उपार्जन भी स्वतंत्र रूप से किया गया है। 01 अप्रैल, 2021 से नवीन सहकारी सोसाइटियों द्वारा अपने सदस्यों को ऋण वितरण खाद, बीज आदि का वितरण भी प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम वर्ष में ही नवीन सहकारी सोसाइटियों द्वारा लगभग 1000 करोड़ का ऋण वितरण किसानों को किया गया।

अत्एव नवीन 725 सोसाइटियों में गोदाम एवं कार्यालय हेतु भवन का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की ग्रामीण अधोसरंचना विकास निधि के माध्यम से ऋण प्राप्त कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों में 200 मे.टन क्षमता का गोदाम सह–कार्यालय के निर्माण की योजना बनाई गई है, योजना की कुल लागत 18531.00 लाख है। इस योजना के पूर्ण होने से 1.45 लाख टन की भंडारण क्षमता सोसाइटियों में सृजित की जा सकेगी साथ ही एक कार्यालय भवन भी प्रत्येक सहकारी सोसाइटियों को उपलब्ध होगा, जिसका लाभ क्षेत्र के कृषकों/ग्राहकों को होगा।

01 **सक्षिप्त नाम एवं विस्तार :–**

(एक) यह योजना **"नाबार्ड सहायता से गोदाम सह–कार्यालय निर्माण योजना 2022"** कहलायेगी।

(दो) यह योजना अधिसूचना जारी होने के दिनांक से लागू होगी।

(तीन) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश की सीमा तक होगा।

02 **परिभाषाएं :–**

(एक) **नाबार्ड** – **नाबार्ड** से अभिप्राय, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

(दो) **पंजीयक – पंजीयक** का अभिप्राय, सहकारी सोसाइटियों के **पंजीयक** से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी सोसाइटियों के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक एवं सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो कंडिका 2(तीन)(चार) मे वर्णित बैंक एवं कंडिका 2(पांच)वर्णित सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रार की शंक्तियों को प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

(तीन) **अपेक्स बैंक – अपेक्स बैंक** का अभिप्राय, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर।

(चार) **जिला बैंक – जिला बैंक का अभिप्राय,** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित से है।

(पांच) **"सोसाइटी"** – **सोसाइटी** का अभिप्राय, हितग्राही प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी/वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी/कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी/आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी।

03 पात्रता :–

(एक) नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण/अनुदान एवं नाबार्ड के "पूंजी विनियोजन अनुदान योजना – ग्रामीण भंडारण योजना" अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदान की पात्रता कंडिका 2(पांच) में वर्णित उन्ही सोसाइटियों को होगी। जिनका प्रस्ताव पंजीयक द्वारा प्रेषित किया जावेगा।

(दो) सरगुजा एवं बस्तर संभाग में अपेक्षाकृत सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र वृहद् होने एवं व्यवसाय कम होने के कारण ऐसे क्षेत्रों की 136 नवीन सोसाइटियों का योजना में अंशदान 10% तथा राज्य शासन की सहायता (RIDF योजना) 90% प्रतिशत होगी। प्रदेश के शेष संभाग की 589 नवीन सोसाइटियों का योजना में अंशदान 20% तथा राज्य शासन की सहायता (RIDF योजना अंतर्गत) 80% प्रतिशत होगी। नाबार्ड के पत्र क्रमांक NB. SPD/480/RIDF-XXVII(Chh.)/102nd ISC/2021-22 दिनांक 14.02.2022 द्वारा परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। समितिवार गोदाम की लागत समिति का अंशदान एवं आर.आई.डी.एफ. तथा राज्य शासन का अंशदान निम्नानुसार होगा :–

(Rs. In Lakh)

Type of Societies	Total eligible project cost	Ineligible (Contribution of PACS & LAMPS)		Balance Eligible Cost (2-4)	RIDF NABARD Loan	State Govt. Contribution
		@%	Amt.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
PACS	25.56	20%	5.11	20.45	19.43	1.02
LAMPS	25.56	10%	2.56	23.00	21.85	1.15

(तीन) योजना के अंतर्गत सोसाइटियों का अंशदान यथा संभव सोसाइटियों द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा, आवश्यकता अनुसार जिला सहकारी बैंक/छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंको से सोसाइटी रियायती दर पर ऋण प्राप्त कर सकेगी।

(चार) हितग्राही सोसाइटी को गोदाम निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग गोदाम निर्माण कार्य में ही करना होगा।

(पांच) गोदाम निर्माण कार्य स्वीकृत राशि में ही पूर्ण करना होगा, किसी भी स्थिति में इसके लिए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जावेगी।

04 गोदामों के निर्माण की गुणवत्ता एवं स्पेशिफिकेशन :–

इस योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले गोदाम ढाँचागत रूप से अभियांत्रिकी नजरिये से मजबूत होने चाहिये। जिसमें कार्य करने एवं कृषि आदान सामग्री/खाद्यान्न का भंडारण आसानी से किया जा सके। वैज्ञानिक भंडारण क्षमता विकसित करने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश का पालन किया जाना चाहिए :–

(एक) सोसाइटी के पास गोदाम निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो एवं स्थल चयन के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे। गोदाम की भंडारण क्षमता 200 मे.टन होनी चाहिए।

(दो) गोदाम का निर्माण State Public Works Department के स्पेशिफिकेशन अनुसार किया जायेगा।

(तीन) गोदाम में रौशनी एवं वेन्टीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। दरवाजे, खिड़की एवं वेन्टीलेटर वाटर प्रूफ होना चाहिये।

(चार) गोदाम को चूहों से सुरक्षित होना चाहिये।

(पांच) गोदाम में पक्षियों से पर्याप्त सुरक्षा होना चाहिये। (खिड़की एवं वेंटीलेटर में जाली लगी होनी चाहिये)

(छः) गोदाम में इस प्रकार से दरवाजे खिड़की लगाया जाना चाहिये जिससे आवश्यकता पड़ने पर Fumigation हेतु इसे सील किया जा सके।

(सात) गोदाम में सुविधाजनक एप्रोच रोड/पक्का रोड की व्यवस्था होनी चाहिये। गोदाम परिसर से पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिये। गोदाम में लोडिग/अनलोडिग आसानी से होना चाहिये। आग एवं चोरी से सुरक्षा के पर्याप्त इतजाम होने चाहिये।

(आठ) गोदाम निर्माण स्थल पर ''नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण'' के संबंध में बोर्ड का प्रदर्शन किया जावेगा।

05. भूमि की उपलब्धता –

इस योजना अंतर्गत गोदाम निर्माण हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था सोसाइटी के पास नहीं होने की दशा में सोसाइटी के प्रस्ताव पर उप/सहायक पंजीयक के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार सोसाइटियों को भूमि उपलब्ध करायी जावेगी।

06 निर्माण एजेसी का निर्धारण :–

निर्माण एजेंसी का निर्धारण जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। निर्माण एजेंसी निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि निर्माण एजेंसी द्वारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः पूर्ण कर लिया जावे।

07 योजना की मॉनिटरिंग :–

योजना को समयावधि में पूर्ण करने तथा गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि निर्माण कार्यो की सत्त रूप से राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की जावे।

(एक) राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति – राज्य स्तर पर निर्माण कार्यों की प्रक्रिया एवं योजना की मॉनिटरिंग के लिये निम्नानुसार समिति का गठन किया जावेगा–

1. सचिव, सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन	–	अध्यक्ष
2. सचिव, वित्त विभाग छ.ग.शासन के प्रतिनिधि	–	सदस्य
3. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़	–	सदस्य. (संयोजक)
4. सी.जी.एम. नाबार्ड	–	सदस्य
5. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक	–	सदस्य

(दो) **जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति** – जिला स्तर पर निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग हेतु निम्नानुसार समिति कठित की जाती है :–

1. जिला कलेक्टर	–	अध्यक्ष
2. जिले के उप/सहायक पंजीयक	–	सदस्य
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (संबंधित जिला)	–	सचिव
4. निर्माण एजेंसी का कार्यपालन यंत्री	–	सदस्य
5. नाबार्ड का प्रतिनिधि	–	सदस्य

उपरोक्त समिति निर्माण कार्यों की प्रक्रिया, तकनीकी स्वीकृति निर्माण कार्यों का मूल्यांकन एवं निर्माण एजेंसी को भुगतान की प्रक्रियाओं का निर्धारण करेगी। निर्माण कार्यों की सतत् समीक्षा कर पूर्णता समयावधि में सुनिश्चित करेगी।

(तीन) इस योजना में स्वीकृत हितग्राही सोसाइटी के, गोदाम निर्माण स्थल में परिवर्तन का अधिकार जिला स्तरीय मानिटरिंग कमेटी को होगा।

(चार) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् पूर्णता एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र पंजीयक एवं सहकारिता विभाग को दिया जावेगा।

(पांच) गोदाम निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् हितग्राही सोसाइटी को 15 दिवस के भीतर गोदाम का कब्जा प्राप्त करना होगा।

08. अनुदान (आर्थिक सहायता) के निर्गमन की प्रक्रिया एवं शर्तें :–

(एक) योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा।

(दो) राज्य शासन के बजट में प्रावधानित राशि के आहरण का प्रस्ताव हितग्राही सोसाइटी के स्थल चयन होने के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र में (**परिशिष्ट–1**) द्वारा संबंधित जिला बैंक/अपेक्स बैंक के माध्यम से पंजीयक को प्रेषित किया जावेगा।

(तीन) राशि के निर्गमन का प्रस्ताव पंजीयक द्वारा अपनी अनुशंसा सहित सहकारिता विभाग को प्रेषित किया जावेगा।

(चार) निर्गमित अनुदान (आर्थिक सहायता) की राशि पंजीयक के माध्यम से अपेक्स बैंक/जिला बैंक को प्रदाय की जायेगी। हितग्राही सोसाइटी को राशि समय पर उपलब्ध कराने की जवाबदारी अपेक्स बैंक/जिला बैंक की होगी।

(पांच) पंजीयक एवं अपेक्स बैंक द्वारा योजना अंतर्गत निर्गमित राशि का लेखा हितग्राही सोसाइटीवार संधारित किया जावेगा।

09. उपयोगिता प्रमाण–पत्र :–

योजनांतर्गत निर्गमित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (प्रांरूप **परिशिष्ट–2**) निर्माण एजेंसी के द्वारा प्रदान किया जावेगा जिस पर हितग्राही सोसाइटी एवं विभागीय अंकेक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर संबंधित जिला बैंक/अपेक्स बैंक के माध्यम से पंजीयक को प्रेषित करेगा।

10. बीमा :–

योजनांतर्गत निर्मित गोदामों का बीमा कराने का दायित्व संबंधित सोसाइटी का होगा।

11. विविध :–

(एक) राज्य शासन/पंजीयक को इस योजना के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

(दो) इस योजना में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा।

——000——

परिशिष्ट–1

शासकीय अनुदान (आर्थिक सहायता) हेतु आवेदन पत्र वर्ष ....

1. सहकारी सोसाइटी का नाम – ....
2. पंजीयन क्र. एवं दिनांक – ....
3. सम्बद्ध बैंक – ....
4. अध्यक्ष का नाम – ....

   प्रबंधक का नाम – ....
5. शासकीय अनुदान (आर्थिक सहायता) हेतु आवेदित राशि – ....
6. विभागीय आयोजना बजट का विवरण जिसमें राशि की मांग की गई है।

मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	योजना क्र.

7. योजना का नाम – ....
8. शासकीय (आर्थिक सहायता) का उपयोग जिस कार्य में किया जावेगा –
   1. गोदाम स्थल – ....
   2. भंडार क्षमता – ....
   3. साईज – ....
9. सोसाइटी की आर्थिक स्थिति का विवरण दिनांक 31.03.2020 की स्थिति पर
   1. अंश पूंजी – ....
   2. कार्यशील पूंजी – ....
   3. शुद्ध लाभ/हानि – ....
   4. संचित लाभ/हानि – ....

हस्ताक्षर
(सोसाइटी सील)

उपरोक्तानुसार .... की शासकीय आर्थिक सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

उप/सहायक पंजीयक

मुख्य कार्यपालन अधिकरी
जिला बैंक/अपेक्स बैंक

परिशिष्ट–2

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, मर्यादित ....जिला................................ को छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग से मांग संख्या ....मुख्य लेखाशीर्ष............................. योजना क्रमांक..................में प्राप्त अनुदान राशि रुपये ....का उपयोग योजना के उद्देश्य अनुसार कर लिया गया है।

सत्यापन करने वाले
अधिकारी का हस्ताक्षर
(उप/सहायक पंजीयक)

अध्यक्ष प्रबंधक
प्राथमिक कृषि साख सहकारी
समिति मर्यादित, ...

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.